जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
54/2016

विविध बैंक प्रकरण सं0 54/2016 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जे0सी0टी0 मिल श्रीगंगानगर बनाम पृथ्वीराज पुत्र श्री मनीराम टाक निवासी प्लाट नम्बर, 22 मुरब्बा न0 34 चक 5 ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर

06.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी बैंक के अभिभाभषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 26.05.2016 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री मनीराम टाक निवासी प्लाट न0 22, मुरब्बा न0 34, चक 5 ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 8,00,000/–रूपये (अखरे रूपये आठ लाख मात्र) दिनांक 11.12.2013 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री पृथ्वीराज द्वारा अपनी अचल सम्पति प्लाट नं0 22, मुरब्बा नम्बर 34, चक 5ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 50 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणीं द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 11.02.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 15.02.2016 को कुल 8,29,468रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 16.02.2016 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी श्री पृथ्वीराज द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री पृथ्वीराज द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पति प्लाट नं0 22, मुरब्बा नम्बर 34, चक 5ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 50 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री मनीराम टाक निवासी प्लाट न0 22, मुरब्बा न0 34, चक 5 ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 8,00,000/–रूपये (अखरे रूपये आठ लाख मात्र) दिनांक 11.12.2013 को स्वीकृत किया गया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री पृथ्वीराज द्वारा अपनी अचल सम्पति प्लाट नं0 22, मुरब्बा नम्बर 34, चक 5ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 50 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणीं द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 11.02.2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी/ गारन्टर को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 16.02.2016 को बकाया राशि 8,29,468/–रूपये व इसके बाद बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे अतिरिक्त का भिजवाया गया। रजि0 एडी रसीद अनुसार धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। इसलिए अप्रार्थी ऋणी पृथ्वीराज द्वारा बैंक के पास रहन रखी गयी सम्पति प्लाट नं0 22, मुरब्बा नम्बर 34, चक 5ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 50 वर्गफुट का भोतिक कब्जा पुलिस की सहायता से धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को दिलवाने के लिए प्रार्थना की है।

उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0 पत्र को स्वीकार करने के संबंध में मुख्यतः दो बातो पर विचार करना आवश्यक है। प्रथम, जिस सम्पति का बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्पति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में स्थित हो और द्वितीय, वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत संबंधित ऋणी/जमानतदार को 60 दिवस में राशि जमा करवाने के संबंध में जारी नोटिस की तामील **SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002** के नियम 3 के अन्तर्गत उन पर हुई हो?

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी सम्पति प्लाट नं0 22, मुरब्बा नम्बर 34, चक 5ई छोटी, श्रीराम कोलोनी, श्रीगंगानगर साईज 30 इन्टू 50 वर्गफुट का प्रश्न है वह ऋणी श्री पृथ्वीराज के नाम से है जो श्रीगंगानगर में स्थित है। इस प्रकार जिस सम्पति का बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

जहां तक पृथ्वीराज ऋणी को धारा 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की तामील का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि ऋणी पृथ्वीराज को धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2016 को रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किया गया जो **उसके स्वयं पर तामील न होकर किसी विमला के नाम से** प्र... **डी. रसीद पर हस्ताक्षर है।** बैंक द्वारा प्रस्तुत धारा **14 के प्रस्तुत प्रा0 पत्र** ... **उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 23.05.16** में भी इस बात को **स्पष्ट** **नही किया गया है** कि **विमला** जिसके द्वारा पृथ्वीराज ऋणी का उ... नोटिस प्राप्त किया गया है वह कौन है और किस हैसियत से उसके द्वा... धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त किया गया है बल्कि प्रा0 पत्र एवं शपथ पत्र... यह अंकित किया गया है कि नोटिस अप्रार्थी को दिनांक 19.02.2016 को प्रा...

सा0/-
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
54/2016

हो गया है। जबकि धारा 13(2) के अन्तर्गत संबंधित ऋणी को जारी नोटिस की तामील उसके स्वयं पर या उसकी ओर से इस हेतु अधिकृत अभिकर्ता पर **SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002** के नियम 3 के प्रावधानो के अन्तर्गत होनी आवश्यक है। जब तक स्वयं ऋणी पर अथवा उसकी ओर से नोटिस प्राप्ति हेतू अधिकृत अभिकर्ता पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत तामील नही हो जाती, तब तक उसके द्वारा बैंक को बंधक रखी गयी सम्पति का कब्जा दिलाया उचित नही होगा।

चूंकि ऋणी पृथ्वीराज द्वारा ऋण की सुरक्षा हेतु रखी गयी बंधक सम्पति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तो स्थित है किन्तु धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 16.02.2016 की तामील ऋणी पृथ्वीराज स्वयं पर या उसके द्वारा इस हेतु निमित अधिकृत अभिकर्ता पर नही होनी पाई जाती है। इसलिए तथाकथित विमला द्वारा तामील किया गया उक्त नोटिस अप्रार्थी ऋणी पृथ्वीराज पर विधिवत तामील होना नही माना जा सकता। अतः ऐसी अवस्था में ऋणी पृथ्वीराज पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील के अभाव प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार करने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 का **प्रा0 पत्र दिनांक 26.05.2016 खारिज किया जाता है** और प्रार्थी बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह ऋणी श्री पृथ्वीराज जो कि उक्त बंधक रखी सम्पति का मालिक है, पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी कर, **SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002** के नियम 3 के अनुसार उसकी विधिवत उचित प्रकिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

347
10-2-17

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर